

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर, 474002**

क्रमांक/प्रश्ना.13

दिनांक:-

मूल नियम पूरक खण्ड(2)एफ.आर.एम.एस. ()

छठवें संरक्षण के नियम(2)के अनुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत की पूर्ति के प्रयोजन के लिए परिवार सदस्यों के अनिवार्य यात्रा विवरणों को दर्शाने वाली प्रोफार्मा:-

1. सरकारी कर्मचारी का नाम(बड़े अक्षरों में) -
2. पद -
3. स्थाई क्रमांक -
4. वेतन -
5. गृह नगर का नाम -
6. परिवार के सदस्यों के विवरण:-

क्रमांक	नाम	सरकारी कर्मचारी से उनका संबंध	जन्मतिथि/उम्र	प्रतिमाह आमदनी यदि कोई हो

7. क्या ऊपर लिखित परिवार के सदस्य केन्द्रीय या राज्य शासन के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त हैं । -
8. क्या ऊपर लिखित परिवार के सदस्य जिनके दावा/दावे प्रस्तुत किया है/जाता है/किये जा रहे हैं, राज्य या केन्द्रीय सरकार से रक्षा, डाक, तार, एवं रेल को शामिल करते हुए कोई पेंशन पा रहे हैं, यदि हो तो पेंशन राशि का उल्लेख करें । -
9. क्या ऊपर लिखित सदस्य के पास कोई भूमि संबंधी सम्पत्ति है । आमदनी के विस्तृत विवरण बताया जावे । -
10. यदि परिवार के सदस्यों में भाई सम्मिलित है तब उनकी जन्म तिथि दर्शाई जावें । -
11. मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर लिखित परिवार के सदस्य मेरे साथ रहते हैं एवं पूरी तरह मुझ पर आश्रित है । वचन देता हूं कि ऊपर लिखित मेरे परिवार सदस्यों में किसी भी तरह परिवर्तन की स्थिति में मैं प्रशासन को तत्काल सूचित करूंगा । मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे पूर्ण विवेक एवं विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान:- ग्वालियर

दिनांक:-

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

